न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 18 / 2022

1 चिरंजीलाल आयु 65 साल
2 भागीरथ आयु 55 साल
3 स्नेहीलाल आयु 53 साल पुत्रगण बक्सीराम उर्फ बंशाराम जाति गुर्जर पेशा कृषि निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती मनकोरी देवी आयु 60 साल पत्नी स्व. रामेश्वर जात्ति गुर्जर पेशा कृषि निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2 श्रीमती शान्ति देवी आयु 70 साल पत्नी स्व. चन्द्रसिंह
3 इन्द्रसिंह आयु 41 साल पुत्र स्व. चन्द्रसिंह
4 सुरेन्द्रसिंह आयु 38 साल पुत्र स्व. चन्द्रसिंह
जाति गुर्जर पेशा कृषि निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
5 श्रीमती तीजादेवी आयु 47 साल पुत्री स्व. चन्द्रसिंह पत्नी जगमाल सिंह जाति गुर्जर निवासी कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती प्रेम आयु 44 साल पुत्री स्व. चन्द्रसिंह पत्नी गोपीराम जाति गुर्जर निवासी टीकूपुरा पोस्ट गुजरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
7 सरदारारामम आयु 55 साल पुत्र स्व. रामजीलाल
8 बाबुलाल आयु 50 साल पुत्र स्व. रामजीलाल
9 बिड़दाराम आयु 47 साल पुत्र स्व. रामजीलाल
10 पोकरमल आयु 54 साल पुत्र स्व. भादर जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
11 श्रीमती सरेकम आयु 57 साल पुत्री स्व. भादर पत्नी मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी मांजिया की ढाणी तन आसलवास पोस्ट नामतपुर तहसील नांगल चौधरी जिला नारनौल हरियाणा।
12 श्रीमती सन्तरा आयु 51 साल पुत्री स्व. भादर पत्नी स्व. जतनसिंह जाति गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 3 सुरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 श्रीमती ग्यारसी देवी आयु 72 साल पत्नी स्व. भाताराम
14 हरिराम आयु 44 साल
15 राजेन्द्र कुमार आयु 40 साल
16 सहीराम आयु 38 साल
17 सांवरमल आयु 34 साल
18 ईश्वर आयु 29 साल
19 नरेश कुमार आयु 25 साल पुत्रगण स्व भाताराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
20 श्रीमती सावित्री आयु 53 साल पत्नी सांवलराम
21 श्रीमती गीता आयु 51 साल पत्नी महावीर
22 श्रीमती बिमला आयु 49 साल पत्नी हरिराम पुत्रीगण स्व. भाताराम जाति गुर्जर निवासी चला की ढाणी पोस्ट माहवा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
23 श्रीमती मोहरा देवी आयु 70 साल पत्नी स्व. दयालाराम
24 रामसिंह आयु 40 साल पुत्र स्व. दयालाराम
25 अमरसिंह आयु 37 साल पुत्र स्व. दयालाराम
जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
26 श्रीमती सुमन आयु 45 साल पुत्री स्व. दयालाराम पत्नी तथाकथित रामोवतार (होशियारसिंह) निवासी पांच नौता सराय तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
27 बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
28 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
29 श्रीमती मेवली आयु 65 साल पत्नी स्व. दुलीचन्द
30 हवासिंह आयु 40 साल पुत्र स्व. दुलीचन्द
31 मुकेश आयु 36 साल पुत्र स्व. दुलीचन्द
32 कपुर आयु 25 साल पुत्र स्व. दुलीचन्द समस्त जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
33 श्रीमती कौशल्या आयु 38 साल पुत्री स्व. दुलीचन्द पत्नी रिसाल जाति गुर्जर ग्राम भोदन पोस्ट मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
34 श्रीमती सुनिता आयु 34 साल पुत्री स्व. दुलीचन्द पत्नी गुमानसिंह जाति गुर्जर निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

35 श्योचन्द आयु 72 साल पुत्र स्व. गणपत
36 श्रीमती भगवती देवी आयु 65 साल पत्नी श्योचन्द जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
37 भारतीय स्टेट बैंक शाखा खेतड़ी जिला झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
38 तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम नियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी दिनांक 08.02.2022 बमुकदमा उनवानी मनकोरी देवी बनाम चिंरजीलाल आदि आवेदन पत्र अ.धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.नं. 59/2014

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनूप गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (अनूपस्थित)

–निर्णय–

दिनांकः– 22.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 59/2014 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी (पदेन राजस्व अपील अधिकारी) सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 95, 99, 100 वाके ग्राम रोड़ासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/आवेदिका श्रीमती मनकोरी देवी ने जमीन खसरा नम्बर 95 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 100 रकबा 0.31 हैक्टेयर वाके ग्राम रोड़ासर होना व अकेली की खातेदारी की होने का तथ्य दर्ज किया जिसको जवाब प्रार्थना पत्र में अस्वीकार किया गया इस कारण विचारण न्यायालय को इस पर गौर करना चाहिये था कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार इस जमीन की खातेदारी किसके नाम है और खातेदार कौन है। राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के अलावा औकार, श्रीमती झिमली व भागीरथ का सह खातेदार होना दर्ज है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने खातेदारी के बिन्दु की अनदेखी कर निर्णय दिनांक 08.02.2022 पारित करने में भूल की है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/आवेदिका श्रीमती मनकोरी देवी ने खसरा नम्बर 92 व खसरा नम्बर 94 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे 15 फुट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा खसरा नम्बर 95 के उत्तर में सटकर खसरा नम्बर 99 व खसरा नम्बर 100 की जमीन है। खसरा नम्बर 95 व 100 के पश्चिम में खसरा नम्बर 94 व खसरा नम्बर 92 का भाग है। खसरा नम्बर 95 में पहुचने के बाद खसरा नम्बर 99 व खसरा नम्बर 100 सटकर उत्तर की तरफ होने से इनके लिये अलग से रास्ते की आवश्यकता नहीं होती तथा श्रीमती मनकोरी देवी के पुत्र कृष्ण ने राजेन्द्र से रास्ता खरीद भी रखा है इस बिन्दु पर गौर किये बिना व नक्शा ट्रेस का अवलोकन किये बिना निर्णय दिनांक 08.02.2022 पारित करने में भूल की है। खसरा नम्बर 95 के लिये रास्ता राजस्व ग्राम गोरधनपुरा की सीमा के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 97, खसरा नम्बर 96 में से होकर 100 साल से भी अधिक समय से रहा है व खसरा नम्बर 92 की पूर्वी दक्षिणी कोने में मकानात बनाकर अपीलार्थीगण आबाद है। रिपोर्ट दिनांक 27.12.2019 में इस तथ्य का समर्थन मिलता है कि खसरा नम्बर 121, खसरा नम्बर 107, खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 97, खसरा नम्बर 96 की सीमा पर पगडण्डी से आवागमन किया जाता रहा है। विचारण न्यायालय ने मौका निरीक्षण के लिये कोई तारीख भी तय नहीं की व न निरीक्षण के लिये नोटिस जारी किये गये। अपीलान्टस की अनुपस्थिति में रिपोर्ट बनाई गई जो साक्ष्य में स्वीकार नहीं हो सकती। विचारण न्यायालय ने राजस्थान टीनेन्सी(गर्वमेन्ट) रूल्स 1955 के नियम 69 की पालना नहीं की व न नियम 70 की पालना की गई। नियम 69 में प्रावधान में है कि उक्त अधिनियम की धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र पेश होने पर उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक या उच्च पद के अधिकारी से निरीक्षण कर रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है व उस रिपोर्ट पर प्रभावित पक्षकारान से आपत्ति ली जाना भी आवश्यक है व वैकल्पिक रास्ते की जांच भी आवश्यक है व यह भी वैद्य आवश्यकता है कि रास्ता पूर्णतया आवश्यकता का होना चाहिये सुविधाजनक होने का बिन्दु गौण रहता है। आवेदन पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनावेदक भाताराम का देहान्त दिनांक 19.12.2020 को हो गया व अनावेदक चन्द्रसिंह का देहान्त दिनांक 06.09.2020 को हो गया व अनावेदक भादर का देहान्त 1 साल पहले हो गया व अनावेदक दुलीचन्द का देहान्त दिनांक 07.01.1997 को हुआ था। इन मृतक अनावेदकगण न. 4, 8, 9 व 13 के खिलाफ बिना विधिक प्रतिनिधिगण को पक्षकार बनाये आवेदन पत्र का उपशमन हो जाने के बाद भी निर्णय पारित करने में भुल की है क्योंकि उपशमन स्वतः ही होता है इस कारण आवेदिका/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के आवेदनपत्र का उपशमन हो जाने से खारिज किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2021 पेज 299, आरबीजे 2021 पेज 276 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए विधिक प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

मौका रिपोर्ट दिनांक 26.11.2021 के अनुसार आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदक को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)